



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ.15(1)विग्रास/विधि/पंरा/2015/762

जयपुर,दिनांक: 21.12. 2015

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय : "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के संबंध में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की साधारण सभा आयोजित करने बाबत।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभियान की समस्त जानकारीयां 'पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों यथा जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यगण को दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है आप अपने-अपने जिलों में यथासम्भव 31 दिसम्बर, 2015 के पूर्व जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की साधारण सभा की बैठकें आयोजित कर समस्त जन-प्रतिनिधियों को इस अभियान की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, जिला प्रभारी मंत्रीगण, समस्त।
3. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त।
8. परियोजना प्रबंधक, वारटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद, समस्त।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)